

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के पुनरावलोकन हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.02.2024 तथा दिनांक 06.03.2024 के द्वारा समिति का गठन किया जाकर समिति को नवीन टाउनशिप पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में विभागीय आदेश दिनांक 20.02.2024 द्वारा गठित समिति प्रारूप टाउनशिप पॉलिसी पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों का परीक्षण कर परीक्षणोपरान्त पॉलिसी को अन्तिम रूप दिया जाकर सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. आयुक्त, नगर निगम, हैरिटेज, जयपुर।
8. मुख्य, नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक आयोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10. श्रीमती प्रीति गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, जयपुर।
11. श्री शशिकांत, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर।
12. श्री राजेश वर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम